

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा  
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई

आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 43/2025

- |                  |           |                                     |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1. महेन्द्रसिंह  | पुत्रगण   | जाति कम्बोज निवासी 139 आर.डी. तहसील |
| 2. हरविन्द्रसिंह | दर्शनसिंह | पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।   |

वादीगण

### बनाम

- दर्शनसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति कम्बोज निवासी चक 139 आर.डी. तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
- स्वर्णजीतकौर पुत्री दर्शनसिंह पत्नी तरसेमसिंह जाति कम्बोज निवासी 74 जीबी तहसील व जिला अनूपगढ़ राजस्थान।
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण -

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा, खाता विभाजन

दिनांक :- 30/06/25

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार खाता विभाजन किया जाता है:-

1. वादी सं. 1 महेन्द्रसिंह को प्राप्त रकबा-चक 139 आर.डी प.न. 2/238 (45) किला न. 1/2, 1/3, 10/1 (.025 खाला) .430 हैक नहरी, कुल 455 हैक. नहरी मय खाला प.न. 2/337 (30) 10/127 प.दि. 11 ता 14/1.012, 15/1/.240, 15/2/.013 खाला, 18/1/.039, 19-20/506, = 1.924 है. नहरी, .013 है, खाला प.न. 3/337 (31) किला न. 6/1, 7/1 0.127. हैक नहरी प.न. 4/336 (21) 4/3/0.017, 21/.190, 22/.127, 0.334 हैक नहरी 2.815 हैक. नहरी, .038 हैक. खाला इस प्रकार कुल 2.853 हैक. न. मय खाला।

2. वादी सं. 2 हरविन्द्रसिंह को प्राप्त रकबा -चक 139 आर.डी प.न. 2/337 (30) कि.न. 9/.025 प. दि. 10/.126 पु.दि. कुल भुमि 0.151 है. नहरी प.न. 4/336 (21) 4/3/0.098 नहरी, 4/4/.012 खाला, 5/1/.228, 5/2/.025 खाला, 8 ता 13/1.518, 18 ता 20/.759, 21/.063 = 2.666 है.न. व .037 है. खाला कुल 2.817 हैक नहरी .037 हैक. खाला इस प्रकार कुल 2.854 हैक. नहरी मय खाला

3. प्रतिवादी सं. 1 दर्शनसिंह को प्राप्त रकबा:-चक 139 आर.डी प.न. 2/337 (30) कि. न. 3/1 ता 8, 9/.228 पु. दि. कुल भुमि = 1.654 हैक, नहरी, .101 हैक रास्ता = 1.746 हैक. नहरी मय रास्ता

सहायक कलक्टर

पीलीबंगा

जिला हनुमानगढ़



तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि धर्म, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन / गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 30/06/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अशिका बिश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी लखन

पदेन सहायक कोलक्टर

पीलीबंगा